सत्यमेव जयते

भारत सरकार

तथा

रूसी फेडरेशन सरकार

के बीच

विमान सेवा करार

भारत सरकार तथा रूसी फेडरेशन सरकार, जिन्हें एतत्पश्चात "संविदाकारी पक्ष" कहा गया है,

इस तथ्य पर विचार करते हुए कि रूसी फेडरेशन तथा भारत 7 दिसम्बर, 1944 को शिकागो में हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत किए गए अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन अभिसमय के संबंधित पक्ष हैं,

दोनों ही नागर विमानन के क्षेत्र में परस्पर संबंधों को बढ़ाने तथा अपने-अपने राज्यक्षेत्रों के बीच और उनसे परे तक विमान सेवाएं स्थापित करने के प्रयोजन से एक करार करने के इच्छुक हैं,

निम्नलिखित के संबंध में सहमत हुए हैं:-

अनुच्छेद-1

परिभाषाएं

इस करार के प्रयोजनार्थ, जब तक प्रसंग से दूसरी बात अपेक्षित न हो:

(क) "वैमानिकी प्राधिकारी" पद का अभिप्राय, भारत के मामले में नागर विमानन महानिदेशक तथा रूसी फेडरेशन के मामले में रूसी फेडरल विमान प्राधिकरण अथवा, दोनों मामलों में, किसी ऐसे व्यक्ति अथवा निकाय से होगा जिसे उक्त प्राधिकारियों द्वारा इस समय किए जा रहे कार्यों को करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो,

सत्यमेव जयते

(ख) "अभिसमय" पद का अभिप्राय 7 दिसम्बर, 1944 को शिकागो में हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन अभिसमय से है तथा इसमें अभिसमय के अनुच्छेद 90 के अंतर्गत स्वीकृत तत्संबंधी कोई अनुबंध तथा संशोधन, जहां तक कि ऐसे अनुबंध और संशोधन संविदाकारी पक्षों पर लागू हों एवं अभिसमय के अनुच्छेद 94 के अंतर्गत स्वीकृत अभिसमय में किया गया कोई संशोधन जिसका अनुसमर्थन क्रमशः रूसी फेडरेशन और भारत ने कर दिया हो, शामिल हैं,

(ग) "नामित विमानकंपनी" पद का अभिप्राय उस विमानकंपनी से होगा जिसे एक संविदाकारी पक्ष ने दूसरे संविदाकारी पक्ष को लिखित में नामित कर दिया हो और इस करार के अनुच्छेद-3 के अनुसार उसे उक्त दूसरे संविदाकारी पक्ष ने प्राधिकृत कर दिया हो,

(घ) "राज्यक्षेत्र" पद का अभिप्राय किसी देश के संबंध में उस राज्य की सम्प्रभुता के अधीन आने वाला भू-क्षेत्र, राज्यक्षेत्र समुद्र और आंतरिक जलक्षेत्र तथा उनके ऊपर व्याप्त वायुक्षेत्र होगा,

(ङ) "विमान सेवा", "अंतरराष्ट्रीय विमान सेवा", "विमानकंपनी" तथा "गैर-यातायात प्रयोजनों के लिए रूकना" पदों का अभिप्राय क्रमशः वही होगा जो अभिसमय के अनुच्छेद 96 में उनके लिए निर्धारित किए गए हैं।

अनुच्छेद-2
अधिकारों की मंजूरी

1. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष, दूसरे संविदाकारी पक्ष को इस करार के अनुबंध में निर्दिष्ट मार्गों पर अनुसूचित अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाएं स्थापित करने के प्रयोजनार्थ प्रस्तुत करार में निर्दिष्ट अधिकारों की मंजूरी देता है। एतत्पश्चात् इस प्रकार की सेवाओं और मार्गों को क्रमशः "सहमत सेवाएं" तथा "निर्दिष्ट मार्ग" कहा गया है।

2. इस करार के उपबंधों के अध्यधीन, प्रत्येक संविदाकारी पक्ष द्वारा नामित विमानकंपनी (कंपनियों) को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होंगे :-

(क) बिना अवतरण दूसरे संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र के पार उड़ान भरना,

(ख) दूसरे संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में गैर-यातायात प्रयोजनों के लिए रूकना संबंधी व्यवस्था करना, तथा

(ग) किसी निर्दिष्ट मार्ग पर सहमत सेवा का प्रचालन करते समय, प्रत्येक संविदाकारी पक्ष द्वारा नामित विमानकंपनियों को इस करार के अनुबंध में उस मार्ग के लिए निर्दिष्ट स्थल (स्थलों) पर दूसरे संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में, अंतरराष्ट्रीय यातायात के दौरान यात्रियों, कार्गो तथा डाक को चढ़ाने तथा उतारने का भी अधिकार होगा।

3. इस अनुच्छेद के पैरा 2 में किसी भी बात का अर्थ यह नहीं समझा जाएगा कि एक संविदाकारी पक्ष की विमानकंपनी को, दूसरे संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में उस दूसरे संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में स्थित अन्य स्थल के लिए जाने वाले यात्रियों, कार्गो तथा डाक को विमान में ले जाने का विशेषाधिकार मिल गया है।

अनुच्छेद-3
विमानकंपनियों को नामित करना

1. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष को निर्दिष्ट मार्गों पर सहमत सेवाएं प्रचालित करने के प्रयोजनार्थ लिखित रूप में दूसरे संविदाकारी पक्ष को एक या अधिक विमानकंपनियां नामित करने का अधिकार होगा।

2. ऐसे नामन की सूचना मिलने पर, दूसरा संविदाकारी पक्ष, इस अनुच्छेद के पैरा (3) तथा (4) के उपबंधों के अध्यधीन, नामित विमानकंपनी (कंपनियों) को उपयुक्त

प्रचालन संबंधी प्राधिकार प्रदान करेगा।

3. एक संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारी दूसरे संविदाकारी पक्ष द्वारा नामित विमानकंपनी से यह अपेक्षा कर सकेंगे कि वह उन्हें आश्वस्त करें कि वह उन नियमों और विनियमों के अधीन विहित शर्तों को पूरा करने के योग्य है जो ऐसे प्राधिकारियों द्वारा अभिसमय के उपबंधों के अनुरूप सामान्यतः अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाओं के प्रचालन के संबंध में लागू की जाती हैं।

4. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष को, किसी भी मामले में जहां उक्त संविदाकारी पक्ष इस बारे में आश्वस्त नहीं हो कि उस विमानकंपनी का पर्याप्त स्वामित्व और प्रभावी नियंत्रण विमानकंपनी को नामित करने वाले संविदाकारी पक्ष या उसके राष्ट्रिकों में निहित है, वहां उसे इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 2 में उल्लिखित प्रचालन प्राधिकार मंजूर करने से मना करने अथवा नामित विमानकंपनी द्वारा अनुच्छेद 2 में निर्दिष्ट अधिकारों का प्रयोग करने पर ऐसे प्रतिबंध लगाने का अधिकार होगा, जिसे यह आवश्यक समझे।

5. इस प्रकार नामित तथा प्राधिकृत की गई विमानकंपनी किसी भी समय सहमत सेवाओं का प्रचालन शुरू कर सकती है बशर्ते कि इस अनुच्छेद तथा अनुच्छेद 11 और 13 के उपबंधों का अनुपालन किया गया हो।

अनुच्छेद-4
प्रचालन प्राधिकार का प्रतिसंहरण अथवा निलम्बन करना

1. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष प्रचालन प्राधिकार प्रतिसंहृत करने या निलम्बित करने अथवा ऐसी उपयुक्त शर्तें लगाने का अधिकार सुरक्षित रख सकता है जिनको वह आवश्यक समझे:

(क) किसी भी मामले में जहां वह आश्वस्त नहीं हो कि उस विमानकंपनी का पर्याप्त स्वामित्व और प्रभावी नियंत्रण उस विमानकंपनी को नामित करने वाले संविदाकारी पक्ष या उस संविदाकारी पक्ष के राष्ट्रिकों में निहित है, अथवा

(ख) उस विमानकंपनी के इन अधिकारों को मंजूर करने वाले संविदाकारी पक्ष के कानूनों या विनियमों का अनुपालन करने में विफल रहने की स्थिति में, अथवा

(ग) यदि विमानकंपनी प्रस्तुत करार के अंतर्गत विहित शर्तों के अनुसार प्रचालन करने में अन्यथा विफल रहती हो।

2· जब तक कानूनों अथवा विनियमों के और आगे अतिलंघन को रोकने के लिए तत्काल इस अनुच्छेद के पैरा 1 में उल्लिखित प्रतिसंहरण, निलम्बन अथवा शर्तों के अधिरोपण को अनिवार्य नहीं बनाया जाता है तब तक ऐसे अधिकारों का प्रयोग केवल दूसरे संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारियों के साथ परामर्श करके ही किया जाएगा।

अनुच्छेद-5
प्रयोक्ता प्रभार

एक संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में दूसरे संविदाकारी पक्ष की नामित विमानकंपनी (कंपनियों) के विमानों द्वारा विमानपत्तनों तथा अन्य विमानन सुविधाओं के प्रयोग के संबंध में लगाए गए प्रभार ऐसी ही अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाओं में रत प्रथम संविदाकारी पक्ष की किसी विमानकंपनी के विमानों द्वारा अदा किए जा रहे प्रभारों से अधिक नहीं होने चाहिए।

अनुच्छेद-6
सीमा-शुल्क और कार्यविधि

1· एक संविदाकारी पक्ष की नामित विमानकंपनी (कंपनियों) द्वारा सहमत सेवाओं पर प्रचालित विमानों के साथ-साथ विमानों में रखे गए उनके नियमित उपस्कर, ईंधन और स्नेहकों की आपूर्तियों तथा विमान भण्डारों (भोजन, सुपेय और तम्बाकू सहित) को दूसरे

संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में पहुंचने पर सभी सीमा-शुल्क, शुल्क और अन्य ऐसे ही प्रभारों से छूट होगी बशर्ते कि ऐसे उपस्कर और आपूर्तियां पुनर्निर्यात कर दिए जाने तक विमानों में ही रखे रहें।

2. भण्डारण और सीमा शुल्क क्लियरेंस सहित की गई सेवा के तदनुरूप प्रभारों के सिवाय इस प्रकार के सीमा शुल्क, शुल्कों और प्रभारों से निम्नलिखित मदों पर भी छूट होगी:-

(क) एक संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में उक्त संविदाकारी पक्ष के प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर विमान में रखे गए विमान भंडार तथा दूसरे संविदाकारी पक्ष की नामित विमानकंपनी (कंपनियों) द्वारा सहमत सेवाओं पर प्रचालित विमानों में इस्तेमाल हेतु विमान भंडार।

(ख) दूसरे संविदाकारी पक्ष की नामित विमानकंपनी (कंपनियों) द्वारा सहमत सेवाओं पर प्रचालन में रत विमानों के अनुरक्षणार्थ अथवा मरम्मत के लिए एक संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र के भीतर डाले गए अतिरिक्त कल-पुर्जे।

(ग) एक संविदाकारी पक्ष की नामित विमानकंपनी (कंपनियों) के विमानों द्वारा सहमत सेवाओं के प्रचालन के दौरान प्रयोग के लिए आशयित ईंधन और स्नेहक, जब भी ये आपूर्तियां दूसरी संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र के भीतर की गई उस यात्रा के दौरान प्रयुक्त की जानी हों जिसमें ये आपूर्तियां विमानों में ली गई हों।

3. एक संविदाकारी पक्ष की नामित विमानकंपनी (कंपनियों) द्वारा प्रचालित विमान में रखे गए नियमित वैमानिक उपस्कर और सामग्री, सप्लाई और अतिरिक्त कल-पुर्जों को दूसरे संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में उस राज्यक्षेत्र के संविदाकारी पक्ष के सीमा-शुल्क प्राधिकारियों की अनुमति के बाद ही उतारा जा सकेगा।

4. उपरोक्त पैराग्राफ 2 और 3 में उल्लिखित सामग्री को सीमा-शुल्क प्राधिकारियों के नियंत्रण अथवा पर्यवेक्षण में रखने की अपेक्षा की जा सकती है।

5. दोनों में से कोई भी संविदाकारी पक्ष दूसरे संविदाकारी पक्ष की नामित विमानकंपनी (कंपनियों) को सीमा-शुल्क, निरीक्षण शुल्क अथवा ऐसे ही प्रभारों से तब तक छूट या माफी नहीं देगा जब तक कि दूसरा संविदाकारी पक्ष पहले संविदाकारी पक्ष की नामित विमानकंपनी (कंपनियों) को ऐसे प्रभारों से छूट या माफी नहीं दे देता।

6. एक संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में सीधे पारगमन वाले यात्री, सामान और कार्गो और जो इस प्रयोजन के लिए आरक्षित विमानपत्तन क्षेत्र को न छोड़ रहे हों, केवल सरलीकृत नियंत्रण के अधीन होंगे। सीधे पारगमन वाला सामान और कार्गो, सीमा-शुल्क और ऐसी ही अन्य करों से मुक्त रहेगा।

अनुच्छेद-7
प्रतिनिधित्व

1. एक संविदाकारी पक्ष की नामित विमानकंपनी (कंपनियों) को परस्परता के आधार पर दूसरे संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में सहमत सेवाओं के प्रचालन के संबंध में यथा अपेक्षित अपने प्रतिनिधियों तथा वाणिज्यिक, प्रचालनात्मक और तकनीकी स्टाफ रखने की अनुमति होगी। तथापि, दूसरे संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में एक संविदाकारी पक्ष की नामित विमानकंपनी द्वारा सेवा में लगाए जाने वाले उसके देश के नागरिकों की संख्या के बारे में सहमति दोनों संविदाकारी पक्षों के वैमानिकी प्राधिकारियों के बीच की जाएगी।

2. नामित विमानकंपनी की मर्जी पर, स्टाफ संबंधी ये अपेक्षाएं इसके अपने कार्मिकों द्वारा अथवा अन्य किसी संगठन, कंपनी या दूसरे संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में प्रचालन कर रही और उस संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में ऐसी सेवाएं प्रदान करने के लिए प्राधिकृत विमानकंपनी की सेवाओं को प्रयोग करके, पूरी की जा सकती है।

3. प्रतिनिधि और स्टाफ दूसरे संविदाकारी पक्ष के लागू कानूनों और विनियमों के अध्यधीन रहेंगे तथा ऐसे कानूनों और विनियमों के अनुरूप प्रत्येक संविदाकारी पक्ष इस अनुच्छेद के पैरा (1) में उल्लिखित प्रतिनिधि और स्टाफ को परस्परता के आधार पर तथा न्यूनतम विलंब से आवश्यक कार्य-परमिट, नियोजन वीजा या अन्य ऐसे ही कागजात प्रदान करेगा।

4. परस्परता के सिद्धांत के आधार पर, प्रत्येक संविदाकारी पक्ष दूसरे संविदाकारी पक्ष की नामित विमानकंपनी (कंपनियों) को अपने राज्यक्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से और अपने विवेक पर अपने अभिकर्ताओं के माध्यम से, विमान परिवहन की बिक्री करने का अधिकार प्रदान करता है। प्रत्येक नामित विमानकंपनी को ऐसे परिवहन की बिक्री करने का अधिकार होगा तथा कोई भी व्यक्ति ऐसे परिवहन को स्थानीय मुद्रा में और/या किसी भी आसानी से परिवर्तनीय मुद्रा में खरीदने हेतु स्वतंत्र होगा।

अनुच्छेद-8
राष्ट्रीय कानूनों और विनियमों की प्रयोज्यता

1. अंतरराष्ट्रीय हवाई दिक्चालन अथवा प्रचालन में रत विमानों के उसके राज्यक्षेत्र में प्रवेश और वहां से प्रस्थान तथा उसके राज्यक्षेत्र में रहते समय ऐसे विमानों के दिक्चालन को शासित करने वाले एक संविदाकारी पक्ष के कानून और विनियम दूसरे संविदाकारी पक्ष की नामित विमानकंपनी (कंपनियों) के विमानों पर लागू होंगे।

2. एक संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में यात्रियों, कर्मीदल, कार्गो और डाक के प्रवेश, मुकाम तथा वहां से प्रस्थान को शासित करने वाले उसके कानून और विनियम जो जैसे पासपोर्ट, सीमा-शुल्क, मुद्रा, स्वास्थ्य और संगरोध से संबंधित हैं दूसरे संविदाकारी पक्ष की नामित विमानकंपनी (कंपनियों) के विमानों द्वारा उक्त राज्यक्षेत्र के अंदर वाहित यात्रियों, कर्मीदल, कार्गो और डाक पर लागू होंगे।

अनुच्छेद-9
क्षमता संबंधी व्यवस्था

1. दोनों संविदाकारी पक्षों की नामित विमानकंपनियों को उनके अपने-अपने राज्यक्षेत्रों के

सत्यमेव जयते

बीच निर्दिष्ट मार्गों पर सहमत सेवाओं के प्रचालन के लिए उचित और समान अवसर प्राप्त होंगे।

2. सहमत सेवाओं का प्रचालन करते समय एक संविदाकारी पक्ष की नामित विमानकंपनी (कंपनियां) दूसरे संविदाकारी पक्ष की नामित विमानकंपनी (कंपनियों) के हितों का इस तरह ध्यान रखेगी (रखेंगी) कि उस (उन) दूसरी विमानकंपनी (कंपनियों) द्वारा उस पूरे मार्ग या उसके भाग पर उपलब्ध करवाई जा रही सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

3. सहमत सेवाओं के शुरू होने से पूर्व, उपलब्ध कराई जाने वाली क्षमता और प्रचालित की जाने वाली सेवाओं की आवृत्ति के बारे में सहमति इस अनुच्छेद के पैरा 1 और 2 में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार दोनों संविदाकारी पक्षों के वैमानिकी प्राधिकारियों के बीच की जाएगी।

4. दोनों में से किसी भी संविदाकारी पक्ष की नामित विमानकंपनी (कंपनियों) द्वारा प्रदान की जाने वाली क्षमता और/अथवा प्रचालित की जाने वाली सेवाओं की आवृत्ति में कोई भी वृद्धि मुख्यतः संविदाकारी पक्षों के राज्यक्षेत्रों के बीच यातायात की अनुमानित आवश्यकताओं पर आधारित होगी और जो दोनों वैमानिकी प्राधिकारियों के बीच सहमति के अध्यधीन होगी। इस प्रकार की सहमति अथवा समझौता होने तक, पहले से लागू क्षमता और आवृत्ति संबंधी हकदारियों का निर्वाह किया जाता रहेगा।

अनुच्छेद-10
वाणिज्यिक संबंधी पहलू

1. सहमत विमान सेवाओं के सभी वाणिज्यिक संबंधी पहलू दोनों संविदाकारी पक्षों की नामित विमानकंपनियों के बीच किसी सहमति के अध्यधीन होंगे जो जहां आवश्यक हों, दोनों संविदाकारी पक्षों के वैमानिकी प्राधिकारियों के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किए जाएंगे।

2. ऐसी कोई वाणिज्यिक सहमति के अंतर्गत अन्य बातों के साथ-साथ वाणिज्यिक सह-

सत्यमेव जयते

प्रचालन से संबंधित मामले समाविष्ट होंगे और जिनमें अर्जित राजस्व के साथ-साथ अन्य वित्तीय पूलिंग को असीमित करना, लेखा संबंधी तथा यातायात हैण्डलिंग प्रबंध व्यवस्थाएं और दोनों संविदाकारी पक्षों के राज्यक्षेत्रों के बीच तथा परे तृतीय देशों को तथा वहां से यातायात संबंधी वाहन तथा विमानों पर जगह की बिक्री संबंधी प्रबंध-व्यवस्थाएं भी शामिल होंगी।

3. अपने विमानों के लिए ग्राउंड हैण्डलिंग सेवाएं प्रदान कराने संबंधी प्रयोजनों के संबंध में, प्रत्येक संविदाकारी पक्ष की नामित विमानकंपनी (कंपनियों) को दूसरे संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में ऐसे अभिकर्त्ताओं में से अभिकर्त्ता रखने का अधिकार होगा जो स्थानीय कानूनों/विनियमों के अधीन ऐसे काम करने के लिए प्राधिकृत हों।

अनुच्छेद-11
टैरिफ

1. निम्नलिखित पैराग्राफों के प्रयोजन के लिए "टैरिफ" पद का अभिप्राय यात्रियों और कार्गो के वहन के लए अदा की जाने वाली कीमतों और उन शर्तों से है जिनके अंतर्गत ये कीमतें लागू होती हैं। उक्त कीमतों में ऐजेसी और अन्य अनुषंगी सेवाओं की कीमतें और शर्तें शामिल हैं परन्तु इसमें डाक के वहन के लिए पारिश्रमिक और शर्तें शामिल नहीं हैं।

2. एक संविदाकारी पक्ष की नामित विमानकंपनी (कंपनियों) द्वारा दूसरे संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र से या उस तक वहन के लिए वसूल किये जाने वाले टैरिफ समुचित स्तरों पर निर्धारित किये जायेंगे जिनमें प्रचालन की लागत, उचित लाभ और अन्य विमानकंपनियों के टैरिफों सहित सभी संगत कारकों को ध्यान में रखा जाएगा।

3. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (2) में उल्लिखित टैरिफों का निर्धारण यदि संभव हो, तो दोनों संविदाकारी पक्षों की नामित विमानकंपनियों के बीच सहमति से किया जायेगा और ऐसा करार, जब कभी संभव हो, अंतरराष्ट्रीय विमान परिवहन संघ की प्रक्रियाओं का प्रयोग करते हुए किया जाएगा।

4. इस प्रकार सहमत टैरिफ, उन्हें लागू किये जाने की प्रस्तावित तारीख से कम से

सत्यमेव जयते

कम नब्बे (90) दिन पहले दोनों संविदाकारी पक्षों के वैमानिकी प्राधिकारियों के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किये जायेंगे। यह अवधि विशेष मामलों में उक्त प्राधिकारियों की सहमति से कम की जा सकती है।

5. यह अनुमोदन स्पष्ट रूप से दिया जाये। यदि किसी भी वैमानिकी प्राधिकारी ने इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (4) के अनुसार प्रस्तुत किए जाने के तीस (30) दिनों के भीतर अनुमोदन के लिए अपनी अस्वीकृति व्यक्त नहीं की हो तो उन टैरिफों को अनुमोदित हुआ मान लिया जाएगा। पैराग्राफ (4) में किए गए प्रावधान के अनुसार, यदि प्रस्तुतीकरण की अवधि को कम किया जाता है तो वैमानिकी प्राधिकारी आपस में सहमत हो सकते हैं कि अस्वीकृति की अवधि, जिसके भीतर इसे अवश्य अधिसूचित किया जाए, तीस (30) दिन से कम होगी।

6. यदि इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (3) के अनुसार इस टैरिफ के निर्धारण पर सहमति नहीं हो सकती है या यदि पैराग्राफ (5) के अनुसार लागू अवधि के दौरान एक संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारी दूसरे संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारी को पैराग्राफ (3) के प्रावधानों के अनुसार सहमत टैरिफ पर अपनी अस्वीकृति का नोटिस देता है तो दोनों संविदाकारी पक्षों के वैमानिकी प्राधिकारी आपसी सहमति से टैरिफ निर्धारण करने का प्रयास करेंगे।

7. यदि वैमानिकी प्राधिकारी, इस अनुच्छेद के पैरा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रस्तुत किए गए किसी टैरिफ पर अथवा पैरा (6) के अंतर्गत टैरिफ के निर्धारण पर सहमत नहीं हो सकते तो इस करार के अनुच्छेद 18 के उपबंधों के अनुसार इस विवाद का निपटान किया जायेगा।

8. इस अनुच्छेद के उपबंधों के अनुसार निर्धारित टैरिफ तब तक लागू रहेगा जब तक नए टैरिफ का निर्धारण नहीं कर लिया जाता। तथापि, इस पैरा के आधार पर टैरिफ को उस तारीख के बाद बारह (12) महीनों से अधिक के लिए नहीं बढ़ाया जाएगा जिस तारीख को यह अन्यथा समाप्त हो जाता है।

सत्यमेव जयते

अनुच्छेद-12
उपार्जन का हस्तांतरण

1. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष दूसरे संविदाकारी पक्ष की नामित विमानकंपनी (कंपनियों) को सहमत सेवाओं के प्रचालन के संबंध में उक्त नामित विमानकंपनी (कंपनियों) द्वारा व्यय से अधिक अर्जित आय को बिना रोक-टोक हस्तांतरित करने का अधिकार प्रदान करेगा।

2. इस प्रकार के हस्तांतरण मुद्रा भुगतान की सरकारी विनिमय दर के आधार पर किया जाएगा जहां कोई सरकारी विनिमय दर न हो, उस स्थिति में मुद्रा भुगतान के लिए प्रचलित मुद्रा मार्केट दरों पर किया जाएगा।

अनुच्छेद-13
प्रचालन सूचना उपलब्ध कराना

प्रत्येक संविदाकारी पक्ष की नामित विमानकंपनी (कंपनियां) जितना व्यवहार्य हो उतना पहले, सहमत सेवाओं के उद्घाटन से पूर्व, दूसरे संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारियों को सेवा की किस्म, प्रयोग किए जाने वाले विमान की किस्म, उड़ान समयावली, टैरिफ अनुसूची तथा ऐसी सूचना जो वैमानिकी प्राधिकारियों को यह आश्वस्त करने के लिए आवश्यक हो कि इस करार की अपेक्षाओं का विधिवत रूप से पालन किया जा रहा है, के साथ सहमत सेवाओं के प्रचालन से संबंधित अन्य सभी संबंधित सूचना भेजेगा। इसी तरह से सहमत सेवाओं के संबंध में किसी परिवर्तन के लिए इस अनुच्छेद की अपेक्षाएं लागू होंगी।

अनुच्छेद-14
आंकड़े उपलब्ध कराना

प्रत्येक संविदाकारी पक्ष की नामित विमानकंपनी (कंपनियां) दूसरे संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारियों को प्रत्येक माह के दौरान सहमत सेवाओं के संबंध में यात्रियों, सामान,

कार्गो और डाक के उद्गम तथा गंतव्य देशों और विमान में चढ़ने तथा विमान से उतारने के स्थलों को दर्शाते हुए उस दूसरे संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र को और वहां से वाहित यातायात से संबंधित आंकड़े भिजवाएगी ऐसे आंकड़े प्रत्येक मास की समाप्ति के तुरंत बाद यथासम्भव शीघ्र भिजवाए जायेंगे।

अनुच्छेद-15
विमानन सुरक्षा

1• अंतरराष्ट्रीय कानून के अंतर्गत अपने अधिकारों और दायित्वों के अनुरूप, संविदाकारी पक्ष पुनः इस बात की अभिपुष्टि करते हैं कि गैर-कानूनी हस्तक्षेप की कार्रवाई के विरूद्ध नागर विमानन सुरक्षा का बचाव करने के बारे में एक दूसरे के प्रति उनका दायित्व इस करार का अभिन्न अंग है। अंतरराष्ट्रीय कानून के अंतर्गत अपने अधिकारों तथा दायित्वों की व्यापकता को सीमित किये बिना, संविदाकारी पक्ष, विशेष रूप से, 14 सितम्बर, 1963 को टोक्यो में हस्ताक्षरित विमान में किये गये अपराधों एवं कतिपय अन्य कृत्यों से संबंधित अभिसमय, 16 दिसम्बर, 1970 को हेग में हस्ताक्षरित वायुयान के विधिविरूद्ध अभिग्रहण के दमन संबंधी अभिसमय, 23 सितम्बर, 1971 को मांट्रियल में हस्ताक्षरित सिविल विमानन सुरक्षा विधिविरूद्ध कार्य दमन अभिसमय, के प्रावधानों के अनुरूप कार्रवाई करेंगे।

2• अनुरोध किए जाने पर संविदाकारी पक्ष सिविल विमानों के विधिविरूद्ध अभिग्रहण संबंधी कृत्यों और ऐसे विमानों, उनके यात्रियों तथा कर्मीदल, हवाई अड्डों और हवाई दिक्चालन सुविधाओं की सुरक्षा के विरूद्ध गैर-कानूनी अन्य कृत्यों तथा नागर विमानन की सुरक्षा के विरूद्ध किसी अन्य खतरे से बचाव के लिए एक दूसरे को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेंगे।

3• संविदाकारी पक्ष अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन द्वारा स्थापित और अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन अभिसमय के अनुबंधों के रूप में नामित विमानन सुरक्षा उपबंधों और तकनीकी अपेक्षाओं के अनुरूप उस सीमा तक कार्य करेंगे जहां तक ये अनुबंध इन सविदाकारी पक्षों पर लागू होते हैं। वे अपने पंजीकृत विमान प्रचालकों या ऐसे विमान के प्रचालकों जिनके व्यवसाय का प्रमुख स्थान अथवा स्थाई निवास उनके राज्यक्षेत्र में है, से यह अपेक्षा करेंगे कि वह इन विमानन सुरक्षा उपबंधों के अनुरूप कार्य करें।

4• प्रत्येक संविदाकारी पक्ष इस बात से सहमत है कि ऐसे विमान प्रचालकों से, दूसरे संविदाकारी पक्ष द्वारा अपेक्षित उस संविदाकारी पक्ष के राजयक्षेत्र में प्रवेश करने, वहां से प्रस्थान करने या उसमें रहते समय के लिए ऊपर पैराग्राफ 3 में उल्लिखित विमानन सुरक्षा उपबंधों और अपेक्षाओं का पालन करने की अपेक्षा की जा सकती है। प्रत्येक संविदाकारी पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि उसके राज्यक्षेत्र में विमान की सुरक्षा करने तथा यात्रियों, कर्मीदल, ले जाई जाने वाली वस्तुओं, सामान, कार्गो तथा विमान भंडार, विमान में लादने से पहले या उसके दौरान उसकी जांच करने के लिए प्रभावी उपाय किये गये हैं। प्रत्येक संविदाकारी पक्ष किसी विशेष खतरे का मुकाबला करने हेतु उचित विशेष सुरक्षा उपाय करने के लिए दूसरे संविदाकारी पक्ष द्वारा किये गये अनुरोध पर सहानुभूतिपूर्वक विचार भी करेगा।

5• जब किसी सिविल विमान के गैर-कानूनी अभिग्रहण की घटना घटती है या ऐसी घटना का खतरा होता है या ऐसे विमान, उसके यात्रियों और कर्मीदल, हवाई अड्डों या हवाई दिक्चालन सुविधाओं की सुरक्षा के विरूद्ध कोई गैर-कानूनी कार्य किया जाता है तो संविदाकारी पक्ष, इस प्रकार की घटनाओं अथवा उनके खतरे को तुरन्त समाप्त करने के लिए संचार सुविधाएं प्रदान करके तथा अन्य उपयुक्त उपाय करके एक दूसरे की सहायता करेंगे।

6• प्रत्येक संविदाकारी पक्ष ऐसे उपाय करेगा, जैसे कि वह व्यवहार्य समझे, और ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया.जाएगा कि यदि कोई विमान गैर-कानूनी अभिग्रहण अथवा किसी अन्य गैर-कानूनी हस्तक्षेप के कारण उसके राज्यक्षेत्र में उतरा है, भूमि पर रोका जाएगा बशर्ते कि मानव जीवन की रक्षा के लिए उसका वहां से भेजा जाना अनिवार्य न हो। जहां कहीं भी व्यवहार्य होगा, इस प्रकार के उपाय आपसी विचार-विमर्श के आधार पर किये जायेंगे।

7• इस अनुच्छेद के उपबंधों के संबंध में किसी विचलन होने की स्थिति में इस करार के अनुच्छेद-4 को लागू करने हेतु आधार बनाए जा सकते हैं।

अनुच्छेद-16

परामर्श

प्रस्तुत करार की पूर्ति को प्रभावित करने वाले सभी मामलों के विषय में निकट

सहयोग को सुनिश्चित करने की दिशा में दोनों संविदाकारी पक्षों के वैमानिकी अधिकारियों के बीच समय-समय पर आपस में परामर्श होते रहेंगे।

अनुच्छेद-17
करार संबंधी आशोधन

यदि दोनों में से कोई भी संविदाकारी पक्ष इस करार के उपबंधों और इसके अनुबंध को आशोधित करना बांछनीय समझे तो प्रस्तावित आशोधन के संबंध में वह दोनों संविदाकारी पक्षों के वैमानिकी अधिकारियों के बीच कोई परामर्श करने संबंधी अनुरोध कर सकता है। जब तक दोनों संविदाकारी पक्षों के वैमानिकी प्राधिकारी उस अवधि को बढ़ाने पर सहमत नहीं हो जाते, इस प्रकार का परामर्श अनुरोध को तारीख से साठ (60) दिन की अवधि के अंदर ही शुरू करना होगा। इस प्रकार सहमति प्राप्त कोई आशोधन राजनयिक माध्यम से टिप्पणियों का आदान-प्रदान करके पुष्टि कर दिए जाने के बाद ही प्रभाव में आएगा। अनुबंध के आशोधन दोनों संविदाकारी पक्षों के वैमानिकी प्राधिकारियों के बीच किसी सहमति से किए जा सकते हैं।

अनुच्छेद-18
विवादों का निपटान

यदि इस करार के निर्वचन अथवा प्रयोज्यता से संबंधित कोई विवाद उठता है तो संविदाकारी पक्षों के वैमानिकी प्राधिकारी इसे परस्पर बातचीत द्वारा निपटाने का प्रयास करेंगे और ऐसा कर पाने में विफल रहने पर उक्त विवाद निपटान हेतु संविदाकारी पक्षों को भेजा जाएगा।

अनुच्छेद-19
अनुबंध

इस करार के साथ संलग्न अनुबंध को इस करार का भाग माना जाएगा तथा करार के सभी संदर्भों में, जहां स्पष्टरूप से अन्यथा प्रावधान किया गया हो उसके सिवाय, अनुबंध

का संदर्भ भी शामिल होगा।

अनुच्छेद-20
पंजीकरण

प्रस्तुत करार तथा इसमें बाद में किए गए संशोधनों को अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन में पंजीकृत कराया जाएगा।

अनुच्छेद-21
समाप्त करना

दोनों में से कोई भी संविदाकारी पक्ष किसी भी समय दूसरे संविदाकारी पक्ष को इस करार को समाप्त करने हेतु अपनी इच्छा के बारे में लिखित नोटिस दे सकता है। ऐसा नोटिस साथ ही साथ अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन को भी भेजा जाएगा। यदि ऐसा नोटिस दिया जाता है तो दूसरे संविदाकारी पक्ष द्वारा नोटिस प्राप्त करने की तारीख से बारह महीने की अवधि के बाद यह करार समाप्त हो जाएगा बशर्ते कि यह नोटिस उक्त अवधि के समाप्त होने से पहले सहमति से वापस ने ले लिया गया हो। दूसरे संविदाकारी पक्ष से पावती की सूचना प्राप्त न होने की स्थिति में, अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन को इस नोटिस की प्राप्ति के चौदह दिन बाद उक्त नोटिस प्राप्त हुआ मान लिया जाएगा।

अनुच्छेद-22
प्रवर्तन में आना

यह करार यह पुष्टि करते हुए राजनयिक माध्यमों से अंतिम लिखित अधिसूचना की तारीख से प्रवर्तन में आएगा कि दोनों संविदाकारी पक्षों ने इस करार के प्रवर्तन में आने हेतु आवश्यक अपनी-अपनी आंतरिक क्रियाविधियों को पूर्ति कर ली है।

इस करार के प्रवर्तन में आने की तारीख से, नई दिल्ली में दिनांक 02 जून, 1958 को हस्ताक्षरित यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक सरकार तथा भारत सरकार के बीच विमान सेवाओं से संबंधित वह करार (अनुबंधों सहित) समाप्त हो जाएगा जो दोनों संविदाकारी पक्षों के बीच था।

नई दिल्ली में दिनांक 21 दिसम्बर, 1998 को हिन्दी, रूसी और अंग्रेजी भाषाओं में दो-दो मूल प्रतियों में निष्पादित किया गया, जिनके सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं। निर्वचन से संबंधित कोई मतभेद होने की स्थिति में अंग्रेजी पाठ प्रयुक्त होगा ।

कृते भारत सरकार

कृते रूसी फेडरेशन सरकार